



eCommittee

Supreme Court of India



# सी०आई०एस० में अधिवक्ताओं का पंजीकरण

# क्या है सी०आई०एस०?



CIS या Case Information System संपूर्ण भारत के न्यायालयों के लिए निर्मित डेटा बेस मेनेजमेंट साफ्टवेयर है, जिसके द्वारा न्यायालयों में दाखिल, लम्बित एवं निस्तारित होने वाले वादों का संक्षिप्त विवरण जैसे –

- पक्षकारों के नाम, पता आदि
- अधिवक्ता का नाम आदि
- मामले की प्रकृति
- मामले में नियत तिथि
- मामले में पारित आदेश
- न्यायालयों की दैनिक वाद सूची

आदि विवरण व्यवस्थित एवं सुरक्षित किया जाता है तथा इंटरनेट के माध्यम से वादकारियों व अधिवक्तागण को उपलब्ध कराया जाता है।

मैं अधिवक्ता हूँ, सी०आई०एस० मेरे लिए महत्वपूर्ण है




**क्या मैं जनपद के सी०आई०एस० में पंजीकृत हूँ**

CIS की उपधारणा के समय ही वादकारियों एवं अधिवक्तागण को केन्द्रबिन्दु बनाया गया है। CIS का उद्देश्य न्यायालय में चल रही कार्यवाही से वादकारी एवं अधिवक्तागण को उनके घर के आराम से अवगत कराना है। अधिवक्ता होने पर अपने कार्यरत जनपद के न्यायालय में सी०आई०एस० में पंजीकरण कराना महत्वपूर्ण एवं लाभकारी है।

## पंजीकरण के लाभ

- मेरे समस्त मामलों को साफ्टवेयर एकीकृत करके जानकारी उपलब्ध करा सकता है, जिसे मैं न्यायालय में लगे कीओस्क (Kiosk) अथवा e-courts mobile app अथवा वेबसाइट www.ecourts.gov.in के माध्यम से प्राप्त कर सकता हूँ।
  - मुझे अपने वादों की दैनिक सूची प्राप्त हो सकेगी।
  - इंटरनेट के माध्यम से वाद योजित करने (e-filing of cases) के लिए सी०आई०एस० में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
  - मुझे SMS एवं e-mail के माध्यम से वाद की सूचना जैसे उनमें नियत तिथि की जानकारी घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगी।
-

# वादकारी एवं अधिवक्ता को स्व-चालित ई-मेल



# कैसे होगा पंजीकरण

CIS में पंजीकरण के लिए आपको निम्न जानकारी अपने जनपद के कम्प्यूटर सेंटर में लिखित रूप में उपलब्ध करानी होगी –

- नाम
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जन्म तिथि
- बार पंजीकरण संख्या
- पता
- मोबाइल नंबर
- ई-मेल पता

इसके साथ अपने राज्य बार काउंसिल के पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति अपने जिले की बार एसोसिएशन से अग्रसारित कराकर जमा करें। भविष्य में सुगमता हेतु अपने जनपद के सी०आई०एस० में अपना क्रमांक जाने तथा वकालतनामों पर भी अंकित करें।

---

नोट: उपरोक्त से संबंधित किसी भी समस्या के निवारण हेतु  
जनपद के कम्प्यूटर सेंटर से संपर्क करें।